प्रेस विज्ञप्ति

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद महराजगंज

दिनांक- नवम्बर 06, 2020

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग- जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडियों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर *165 वाहनों का चालान , 29 वाहनों से कुल 17800/-रूपया शमन शुल्क वसूल* किया गया शमन शुल्क को नियमानुसार राजकीय कोष में जमा कराया गया।

कोरोना वायरस के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के तहत जनपदीय पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर बिना मास्क लगाये घुमने वालों पर तथा सोशल डिस्टेन्सिंग का उल्लंघन करने वालों पर धारा *188 भा0द0वि0 के अन्तर्गत कुल- 12* व्यक्तियों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी व *मास्क न लगाने वाले कुल- 64 व्यक्तियों से 6400/- रुपये शमन शुल्क* वसुला गया।

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से *कुल- 23 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार* कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

आबकारी अधिनियम में की गयी कार्यवाही-

थाना श्यामदेउरवा पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्ता संगीता पत्नी राकेश नि0 बेलासपुर नर्सरी थाना श्यामदेउरवा जनपद महराजगंज के कब्जे से 10 ली0 अवैध देशी कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-237/20 धारा-60(1) आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

थाना पुरन्दरपुर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्तगण पंचम पुत्र लालमन 2. रमप्न उर्फ नंदू नि0 केवलापुर थाना चौक जनपद महराजगंज के कब्जे से 15 ली0 अवैध देशी कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-242/20 धारा-60(1) आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

गुण्डा एक्ट के अंतर्गत की गयी कार्यवाही-

थाना पुरन्दरपुर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त बुद्धिराम चौधरी पुत्र रामललित नि0 तिकोनिया नर्सरी थाना पुरन्दरपुर जनपद महराजगंज के विरुद्ध थाना स्थानीय पर *मु0अ0सं0- निल/20, धारा- 3/4 गुण्डा अधिनियम* का अभियोग पंजीकृत कर चालानी रिपोर्ट मा0 न्या0 प्रेषित किया गया।

विवेचनाओं का निस्तारण- पुलिस अधीक्षक महराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण-दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए *कुल-16* विवेचनाओं का निस्तारण किया गया।

जनपद में 05/06-11-2020 को विभिन्न अपराधों में कुल- 25 अभियुक्तगणों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी।